न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 556/2026

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 1164/2026]

[CNR No. UPFZ010034122024]

सुभाष मिश्रा उर्फ टिंकू मिश्रा पुत्र रामचन्दर मिश्रा, निवासी ग्राम अरमरूपीपुर, तिलकराम मिश्र, थाना इनायतनगर, जनपद अयोध्या।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

---

1. प्रार्थी/अभियुक्त **सुभाष मिश्रा उर्फ टिंकू मिश्रा** की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 556/2026, मुकदमा अपराध संख्या 307/2023, अन्तर्गत धारा 323, 308 भा०दं०सं०, थाना इनायतनगर, जनपद अयोध्या के अभियोग में प्रस्तुत है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा के तहत दिनांक 23.01.2026 से जेल में निरूद्ध हैं।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अनुसार उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उनकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा रवी मिश्रा का यह कथन है कि दिनांक 14.07.2023 को समय लगभग 9.30 बजे सुभाष उर्फ पिन्कू वादी के घर आकर वादी के लड़के को बुलाकर कहा कि चलो उसे छोड़ आओ। वादी का पुत्र राजेश कुमार उनके साथ बिना बताये घर से साथ में चला गया कि गांव के बाहर कहा कि रूको अंकित को बुला लाये। थोड़ी देर बाद दोनों लोग वापस आये, अंकित मिश्रा हाथ में लोहे का राड लिये थे और पीछे से सिर पर लोहे के राड से मार दिया, जिससे वादी के पुत्र का सिर फट गया और खून बहने लगा व वहीं पर गिर गया, विपक्षीगण गिरने के बाद वादी के पुत्र को राड व लात से मारने लगे। विपक्षीगण वादी के पुत्र को मरणासन्न कर भाग गये। होश आने पर वह अपने चाचा के घर पहुंचकर गिर पड़ा।

5. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना इनायतनगर, जनपद अयोध्या में प्रार्थी/अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत होकर विवेचनोपरान्त विचारण हेतु आरोपपत्र प्रेषित है।

6. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है। प्रस्तुत मामले में उसे फर्जी फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना कारित किये जाने का कोई हेतुक नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त् मामले में सह अभियुक्त की जमानत हो चुकी है। वह जमानत देने के लिये तैयार है। अतः उसे जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

7. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का विरोध किया गया।

8. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया।

9. प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी के पुत्र राजेश कुमार को लोहे के राड से मारपीट कर उपहति कारित किये जाने का आरोप है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित है। घटना का कोई स्वतनत्र साक्षी होना नहीं कहा गया है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृत हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.01.2026 से जेल में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का कोई अपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये जमानत का संतोषजनक आधार है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **सुभाष मिश्रा उर्फ टिंकू मिश्रा** की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या 307/2023, अन्तर्गत धारा 323, 308 भा०दं०सं०, थाना इनायतनगर, जनपद अयोध्या के प्रकरण में प्रस्तुत उक्त प्रथम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० 50,000 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार विचारण न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

दिनांकः 18.06.2026

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश
अयोध्या